संख्या:-1/2025/1/873641/2025/31-1099/18/2022 कार्यक्रम कार्यान्वनयन विभाग

प्रेषक,

आलोक कुमार,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

श्री संजय प्रसाद,

प्रमुख सचिव,

गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग **लखनऊः** **दिनांक 10 फरवरी, 2025**

विषयः माह अप्रैल, 2022 में मंत्रिमण्डल के समक्ष विभागों द्वारा प्रस्तुत 100 दिवस, 06 माह, 02 वर्ष एवं 05 वर्ष का रोडमैप/कार्ययोजना का अनुश्रवण।

महोदय,

कृपया कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या-1/719714/2024/31-1099/18/2022, दिनांक 16 अगस्त, 2024 **(प्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये रोडमैप/कार्ययोजना के अनुश्रवण एवं CMIS पोर्टल पर 01 करोड़ अथवा उससे अधिक लागत की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को ससमय पूर्ण कराने हेतु सेक्टरवार प्रभारी अधिकारी नामित किए गए हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के अन्तर्गत विविध सेक्टर के नामित सेक्टर प्रभारी अधिकारी श्री दीपक कुमार, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रभार से अवमुक्त होने के फलस्वरूप आपको विविध सेक्टर का प्रभारी अधिकारी नामित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो निम्नवत है:-

क्र0	सेक्टर हेतु नामित प्रभारी अधिकारी	सेक्टरर का नाम	विभाग
1	श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव, गृह	विविध	गृह, कारागार प्रशासन एवं सुधार, सचिवालय प्रशासन, कार्मिक, होमगार्ड्स एवं युवा कल्याण

कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 16 अगस्त, 2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार सेक्टर की मासिक समीक्षा/अनुश्रवण करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उ0प्र0 शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।